भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **915**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक योजनाओं के लिए कर्नाटक को निधि

915. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में मंत्रालय की विभिन्न उर्वरक योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक को स्वीकृत/आवंटित धनराशि का मदवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य द्वारा सभी योजनाओं के तहत व्यय करने के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार विभिन्न मदों के तहत दी गई धनराशि के उपयोग के खातों की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत सरकार 'उर्वरकों में डीबीटी' प्रणाली के तहत किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक की विभिन्न श्रेणियों पर 100% सब्सिडी प्रदान करती है। आधार कार्ड प्रमाणीकरण के आधार पर, प्रत्येक खुदरा दुकान पर लगाए गए पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को उर्वरकों की बिक्री की जाती है और बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर, कम गुणवत्ता वाले उर्वरकों की मात्रा पर दी गई सब्सिडी रनिंग बिलों में से काटी जाती है।

केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम होने के नाते, उर्वरक स्कीमों पर सब्सिडी के अंतर्गत उपयोग प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है। विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) के लिए सब्सिडी पर किए गए व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2021-22	**157640.08**
2022-23	**254798.88**
2023-24	**195420.51**

******